राजस्थान– सरकार

निदेशालय चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

कमांक : राजपत्रित / प्रीपीजी–2025 / 2025 / 104 **दिनांक :** 03 **/ 04 / 2025**

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजस्थान ।

विषयः–राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.04.2020, दिनांक 28.06.2021, दिनांक 18.05.2022, दिनांक 16.08.2022, दिनांक 05.04.2023 एवं दिनांक 13.05.2024 के संबधं मे।

संदर्भः–निदेशालय के पत्रांक 90 दिनांक 18.03.2025 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा राज्य सरकार की जारी रिमोट, डिफिकल्ट एवं ग्रामीण चिकित्सा संस्थानों हेतु अधिसूचना दिनांक 14.04.2020, दिनांक 28.06.2021, दिनांक 18.05.2022, दिनांक 16.08.2022, दिनांक 05.04.2023 एवं दिनांक 13.05.2024 में यदि किसी प्रकार का संशोधन किया जाना हो, इन्द्राज करने से रह गया हो अथवा हटाया जाना हो तो कमशः निम्न फार्म 'अ','ब' एवं 'स' में अंकित करते हुए दिनांक 28.03.2025 को सांय 05 बजे तक **pgcellgaz2022@gmail.com** पर अपलोड करवाये जाने हेतु लिखा गया था। लेकिन आज दिनांक तक अधिकतर जिलों द्वारा उक्त सूचना संबंधित मेल आईडी पर भिजवाई नही गई है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त वांछित सूचना दिनांक 09.04.2024 को सांय 05.00 बजे तक **pgcellgaz2022@gmail.com** पर अपलोड कराया जावे। नियत तिथि व समय पर सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित नही किये जाने की स्थिति में आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। जिसके लिए आप स्वंय जिम्मेदार होगी।

1. **अधिसूचना में नए जोडे जाने वाले चिकित्सा संस्थानों की सूचना**

फॉर्म 'अ'

क.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	ब्लॉक का नाम	जिले का नाम	चिकित्सा संस्थान किस क्षेत्र में स्थित है (रिमोट / डिफिकल्ट / ग्रामीण)	विशेष विवरण

2. **अधिसूचना में संशोधन किये जाने वाली चिकित्सा संस्थानों की सूचना**

फॉर्म 'ब'

क.सं.	जारी की गयी अधिसूचना दिनांक एवं उक्त सूची में क.सं.	सूची में अंकित नाम	संशोधित नाम

3. **अधिसूचना से हटाये जाने वाले चिकित्सा संस्थानों की सूचना**

फॉर्म 'स'

क.सं.	जारी की गयी अधिसूचना दिनांक एवं उक्त सूची में क.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	ब्लॉक का नाम	जिले का नाम	कारण / विशेष विवरण

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान, जयपुर।

कमांक : राजपत्रित / प्रीपीजी–2025 / 2025 / 104 **दिनांक :** 03 **/ 04 / 2025**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधिनस्थ समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियो एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को उक्त सूचना फॉर्म 'अ','ब' एवं 'स' में अंकित कर निदेशालय को दिनांक 09.04.2025 सांय 05 बजे तक भिजवाये जाने हेतु अपने स्तर से पांबद करे।
2. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करावे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान, जयपुर।

Document certified by RAVI PRAKASH SHARMA <directorph-rj@nic.in>.

Digitally Signed by Ravi Prakash Sharma
Designation : Director
Date :02-04-2025 05:20:11